प्रार्थना पत्र संख्या: 07/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना जिला श्रीगगांनगर

लक्ष्मणसिंह बनाम कमलादेवी आदि

प्रार्थना पत्र धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या :– 2022 / 20 (जनरल)

07.02.2022 यह पत्रावली प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वकील प्रार्थी श्री संदीप यादव के जरिये प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करके अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में सुनी गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुए वादग्रस्त कृषि भूमि तहसील रावला के चक 1 बीडी–बी के प.नं. 233/3 मु.नं. 08 के किला नं. 1,10,11,12,19,20,21 की कुल 1.633 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थी के हक–हिस्से तक मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु आगामी तारीख पेशी तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी. की पालना करे, उनके द्वारा पालना नहीं किये जाने पर स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावे। बैंक के रहन होने की स्थिति में रहन मुक्त करवाने या बैंक राशि जमा करवाने के लिए यह स्थगन निष्प्रभावी रहेगा। अप्रार्थीगण को तलब करके पत्रावली दिनांक 10.03.2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
घडसाना

10.3.22 — पत्रावली पेश। श्रीमान पी.ओ. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त/~~अवकाश पर/ मुख्यालय से बाहर~~ है । पत्रावली पूर्वानुसार दि. 12.4.22 को पेश हो।

12.4.22 पत्रावली पेश। प्रार्थी व वकील प्रार्थी के उप० होकर नोटप्रेस के आधार पर यह पत्रावली खारिज करने का निवेदन किया। श्रीमान पी०ओ० साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त। पत्रावली आइन्दा दिनांक 20.4.22 को पेश हो।

20.4.22 पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट ग्रा.पं. 7KNB-A में पेश। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। मूल वाद पत्र जोट प्रेस के आधार पर खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र की कोई आवश्यकता नहीं रही है। अत: यह प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 07.02.2022 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना